

8/3/25

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। वकील वादी उप.। तहसीलदार मांगरोव परवारी इश्वरपुरा व परवारी बोहर से रिपोर्ट शाह। परवारी इश्वरपुरा एवं परवारी बोहर की रिपोर्ट अनुसार रामकिशन पुत्र अमन एवं किशन पुत्र कालू जाड़े कालबोलिया के एक ही व्यक्ति होने की पुष्टि नहीं हुई है। अतः किशन पुत्र कालू के लिये पर रामकिशन पुत्र अमन किया जाना उचित नहीं है। अतः वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली में कुल 10 नुमांदा नम्बर से कम है। यह निर्णय आज दिनांक 8-3-2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।